



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219596
CG-DL-E-27052020-219596

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1465]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942

No. 1465]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISTHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का.आ. 1632(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में NH965 के कि.मी. 0/000 से कि.मी. 59/000 तक के भू-खण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, पंढरपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 965 के कि.मी. 0/000 से कि.मी. 59/000 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के लिए अर्जन के जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मोहोळ					
गांव का नाम: पेनर					
1	1060	निजी	ड्राई	0.6000000(हेक्टेयर)	0.6000000
2	1064	निजी	ड्राई	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
3	1066	अन्य	ड्राई	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
4	286	निजी	ड्राई	0.8400000(हेक्टेयर)	0.8400000
5	299	अन्य	ड्राई + नॉन एग्रीकल्चर	2.2000000(हेक्टेयर)	2.2000000
6	300	निजी	ड्राई + नॉन एग्रीकल्चर	2.9600000(हेक्टेयर)	2.9600000
7	317	निजी	ड्राई	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
8	319	निजी	ड्राई	0.5400000(हेक्टेयर)	0.5400000
9	340	निजी	ड्राई	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
10	373	निजी	ड्राई + नॉन एग्रीकल्चर	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
कुल				7.4300	7.4300

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O. 1632(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being Satisfied that the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening to four / six lanes including bypasses etc), management and operation of National Highway No. 965 in the stretch of land from Km 0/000 to Km.59/000 (Maharashtra Section) Solapur District in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette Sub-section (1) of Section 3C of the said Act

Every such objection will be made to the competent authority, namely the Sub Divisional Officer, Pandharpur in writing and will set-out the grounds and the competent authority will be the objector of being heard,

either in person or by a legal practitioner. , and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections

Any order made by the Competent Authority under section 3C of the sub-section (2) of the said Act, shall be final.

The land and other details of the land covered under this report are available and can be inspected by the competent authority of the aforesaid office.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure from Km. 0/000 to Km. 59/000
(Maharashtra Section) of NH - 965 in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA		District: SOLAPUR			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Mohol					
Village: Penur					
1	1060	Private	Dry	0.6000000(Hectare)	0.6000000
2	1064	Private	Dry	0.0200000(Hectare)	0.0200000
3	1066	Common	Dry	0.0600000(Hectare)	0.0600000
4	286	Private	Dry	0.8400000(Hectare)	0.8400000
5	299	Common	Dry + Non Agriculture	2.2000000(Hectare)	2.2000000
6	300	Private	Dry + Non Agriculture	2.9600000(Hectare)	2.9600000
7	317	Private	Dry	0.0400000(Hectare)	0.0400000
8	319	Private	Dry	0.5400000(Hectare)	0.5400000
9	340	Private	Dry	0.0200000(Hectare)	0.0200000
10	373	Private	Dry + Non Agriculture	0.1500000(Hectare)	0.1500000
Total				7.4300	7.4300

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.